भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली-110029
निदेशक कार्यालय

फा.सं.40-30/2024-स्था.I (नि.का.) 16.10.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एम्स नई दिल्ली में फेशियल रिकोग्निशन-आधारित प्रवेश नियंत्रण और आगंतुक प्रबंधन प्रणाली के संचालन संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी ने दौरों के दौरान यह पाया कि सर्वोत्तम भौतिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, रोगियों से मुलाकात के समय का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और आगंतुकों को कभी-कभी ओटी और आईसीयू क्षेत्रों सहित विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों में बिना जांच के प्रवेश करते देखा गया है। इससे खासकर रात में, न केवल भर्ती मरीजों के लिए अस्पताल में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि अनैतिक तत्वों का प्रवेश भी हो सकता है।

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.02.2024 संख्या 40-30/2022-स्था.1 दिनांक 07.02.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) के संदर्भ में, एम्स नई दिल्ली ने पहले ही मातृ एवं शिशु ब्लॉक में एआई सक्षम सीसीटीवी निगरानी का संचालन शुरू कर दिया है। आरजी कर अस्पताल में हाल ही में हुई दुखद घटना को ध्यान में रखते हुए, एम्स नई दिल्ली अपने छात्रों, कर्मचारियों, रोगियों और आगंतुकों की सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

तदनुसार, एम्स नई दिल्ली के मातृ एवं शिशु ब्लॉक में पायलट आधार पर फेशियल रिकॉग्निशन-आधारित एक्सेस कंट्रोल (एफआर-एसीएस) और आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (वीएमएस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

- एफआर-एसीएस अंतरंग रोगी क्षेत्र, निदान क्षेत्र, कार्यालय और अनुसंधान क्षेत्रों में केवल अधिकृत एम्स के छात्रों, कर्मचारियों और मरीजों की ही पहुंच को प्रतिबंधित करेगा।
- प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश को स्वचालित फेशियल रिकॉग्निशन-नियंत्रित फ्लैप बैरियर द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा।
- सभी मरीजों (केवल आपातकालीन/गंभीर मरीजों को छोड़कर) और उनके साथ आने वाले परिचारकों को प्रवेश के समय एफआर-एसीएस में नामांकित किया जाएगा ताकि उनके आवागमन में कोई असुविधा न हो।
- यह प्राधिकरण उनके यूएचआईडी से लिंक्ड होगा और रोगी के डिस्चार्ज के समय स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा।

- एफआर-एसीएस को एक वीएमएस द्वारा जोड़ा जाएगा, जो पूरी तरह से डिजिटल, स्वचालित और ऐप आधारित होगा, जिसमें नियमित तौर पर किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।
- वीएमएस एम्स नई दिल्ली में किसी भी मरीज, छात्र या स्टाफ सदस्य (अब से आमंत्रित व्यक्ति के तौर पर संदर्भित) से मिलने आने वाले सभी आगंतुकों के लिए होगा।
- सभी आमंत्रित व्यक्ति ई-हॉस्पिटल/साहस/सरल/फेशियल रिकॉग्निशन आधारित एक्सेस कंट्रोल के जरिए प्रमाणीकरण के बाद वीएमएस ऐप पर नामांकन कर सकेंगे।
- वीएमएस ऐप द्वारा आमंत्रित व्यक्ति को वीएमएस ऐप पर या एसएमएस/व्हाट्सएप के जरिए आमंत्रण लिंक के रूप में एक सुरक्षित मुलाकात आमंत्रण साझा करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। उक्त आमंत्रण को आमंत्रित व्यक्ति के स्थान और मुलाकात के उद्देश्य के आधार पर एम्स नई दिल्ली के केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए मैप किया जाएगा। प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या भी निर्धारित की जाएगी तथा आगंतुकों की संख्या को सीमित करने के लिए कॉन्फ़िगर में भी सहायता मिलेगी।
- अपनी पहली मुलाक़ात पर, प्रत्येक आगंतुक को एक वैध, सरकार द्वारा जारी आईडी (जैसे आधार, आदि) के साथ वीएमएस ऐप पर नामांकन करना होगा और अपने चेहरे की पहचान भी दर्ज करनी होगी ताकि एक यूनिक विजिटर कोड (यूवीसी) दिया जा सके। यदि उनके पास वैध आमंत्रण है तो यूवीसी से जुड़ी चेहरे की पहचान उन्हें एफआर-एसीएस के माध्यम से अधिकृत क्षेत्रों तक निर्बाध पहुंच की अनुमति दी जाएगी।

डिजिटल रूप से अक्षम आमंत्रितों और आगंतुकों के लिए, विभिन्न अंतरंग रोगी क्षेत्रों और प्रवेश बिंदुओं पर स्टाफ सुविधा टर्मिनल प्रदान किए जाएंगे ताकि उन्हें संबंधित क्षेत्रों तक पहुंच के बारे में जानकारी दी जा सके तथा संबंधित क्षेत्र तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके। वीएमएस की विस्तृत विशिष्टताओं को विकसित करने, भंडार, नि.का. के माध्यम से जीईएम पर इसके लिए निविदा को अंतिम रूप देने और 31 मार्च 2025 से पहले सिस्टम को चालू करने के लिए, निम्नलिखित समिति गठित की गई है: -

- आचार्य वेंकट अय्यर, प्रमुख - पैथोलॉजी विभाग - अध्यक्ष
- डॉ. निरुपम मदान, चिकित्सा अधीक्षक (अ.) - सह-अध्यक्ष
- आचार्य विजय माथुर, प्रमुख - बाल एवं निवारक दंत चिकित्सा - सदस्य
- आचार्य संजय राय, छात्रावास अधीक्षक - सदस्य
- डॉ. विवेक गुप्ता, अपर आचार्य, सामुदायिक नेत्र विज्ञान - सदस्य
- कर्नल दिग्विजय सिंह, मुख्य सुरक्षा अधिकारी - सदस्य
- इंजी. दीपक भुटाले, अधीक्षक अभियंता - सदस्य
- एफएआईआईएमएस के प्रतिनिधि

- रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि
- ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि
- नर्स यूनियन के प्रतिनिधि
- छात्र यूनियन के प्रतिनिधि
- युवा वैज्ञानिक सोसायटी के प्रतिनिधि
- कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि
- भंडार अधिकारी (नि.का.) - सदस्य सचिव

समिति आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों और डीजीएचएस के नामित व्यक्ति को शामिल कर सकती है।

मातृ एवं शिशु ब्लॉक में एफआर-एसीएस और वीएमएस के सफल नियोजन के 3 महीने बाद प्रणाली के प्रदर्शन की लेखा परीक्षा की जाएगी ताकि एम्स नई दिल्ली के सभी क्षेत्रों में इसके विस्तार के बारे में निर्णय लिया जा सके।

(प्रो. एम श्रीनिवास)
निदेशक

वितरण: (*इसे अपने नियत्रंणाधीन सभी अधिकारियों में परिचालित करने के अनुरोध सहित*)

- संकायाध्यक्षगण (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)
- अपर निदेशक (प्रशासन)
- चिकित्सा अधीक्षक, (एम्स)
- सभी केंद्र-प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई, झज्जर
- सभी विभागाध्यक्षण
- प्रभारी-आचार्य, कम्प्यूटर सुविधा

(नोटः किसी भी विवाद की स्थिति में इस कार्यालय ज्ञापन का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।)

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F.No. 40-30/2024-Estt.I 16.10.2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Pilot of facial recognition-based access control & visitor management system at AIIMS New Delhi reg.

During the rounds of the undersigned, it has been noted that despite the best physical security measures, the compliance with visiting hours is not being adhered to and visitors are sometimes noted to be entering various clinical areas unchecked, including OT & ICU areas. This not only increases the risk of hospital acquired infections for admitted patients, but may also allow the entry of unscrupulous elements, especially at night.

Ref. OM No. 40-30/2022-Estt.I dt. 07.02.2024 (copy attached), AIIMS New Delhi has already initiated the pilot of AI enabled CCTV surveillance at the Mother & Child Block. Keeping in view of the recent tragic incident at RG Kar Hospital, AIIMS New Delhi is committed to further augment the safety and security of its students, staff, patients and visitors.

Accordingly, it has been decided to install Facial Recognition-based Access Control (FR-ACS) & Visitor Management System (VMS) on a pilot basis in the Mother & Child Block at AIIMS New Delhi with the following features:

- The FR-ACS shall restrict access into inpatient, diagnostics, office & research areas to only authorized AIIMS students, staff & patients.
- The entry to restricted areas shall be strictly controlled by automated facial recognition-controlled flap barriers.
- All patients (except emergency / critical patients) & their accompanying attendants shall be enrolled into the FR-ACS at the time of admission to enable their seamless movement. This authorization shall be linked to their UHID and shall automatically be revoked at the time of discharge.
- The FR-ACS shall be complemented by a VMS, which shall be fully digital, automated & app based, requiring no human intervention in routine.
- The VMS shall be for all visitors coming to meet any patient, student or staff member (henceforth referred to as *invitee*) at AIIMS New Delhi
- All invitees shall be able to enrol on the VMS app after authentication via eHospital / SAHAS / SARAL / Facial Recognition based Access Control.
- The VMS shall enable the invitee to share a secure visitation invite on the VMS app or as an invite link via SMS / WhatsApp. The said invite shall be mapped to provide access to only specific areas of AIIMS New Delhi based on the location of the invitee and the purpose of the visitation. The number of permitted invites per day shall also be configurable to limit the number of visitors permitted.
- On his / her first visit, every Visitor shall be required to enrol on the VMS app with a valid Government issued ID (like Aadhar, etc.) and record their facial identity, so as obtain a Unique Visitor Code (UVC). The UVC linked facial identity shall then allow them seamless access via the FR-ACS to authorized areas if they have a valid invite.

- For digitally challenged invitees & visitors, staffed facilitation terminals shall be provided in various in-patient areas & entry points to educate & facilitate their access to the respective areas.

To develop the detailed specifications of VMS, finalize the tender for the same on GeM via DO Store and commission the system before 31st March 2025, the following committee is constituted:

- Prof. Venkat Iyer, Head - Dept of Pathology – Chairperson
- Dr. Nirupam Madaan, Medical Superintendent (H) – Co-Chairperson
- Prof. Vijay Mathur, Head – Paediatric & Preventive Dentistry – Member
- Prof. Sanjay Rai, Superintendent of Hostels – Member
- Dr. Vivek Gupta, Addl. Prof. of Community Ophthalmology - Member
- Col. Digvijay Singh, Chief Security Officer – Member
- Er. Deepak Bhutale, Superintendent Engineer – Member
- Representative of FAIIMS
- Representative of Resident Doctors Association
- Representative of Officers Association
- Representative of Nurses Union
- Representative of Students Union
- Representative of Society of Young Scientists
- Representative of Karamchari Union
- Store Officer (DO) - Member Secretary

The committee may co-opt external experts & DGHS nominee as necessary.

A performance audit of the system shall be conducted after 3 months of the successful deployment of FR-ACS & VMS in the Mother & Child Block to decide regarding its extension to all areas of AIIMS New Delhi.

16/10/2024

Prof. M Srinivas
Director

Distribution ***(with a request to also circulate it to all officials under their control)***

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility